

बरेली जोन के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवासीय / व्यवसायिक सम्पत्तियों की

आवंटन/नीलामी

तिथि 29.09.2012
प्रातः 11:00 बजे

आवंटन/नीलामी

स्थलः

**सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ.प्र.
आवास एवं विकास परिषद,
सिविल लाइंस, बरेली**



(अ) लॉटरी ड्रा द्वारा आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार एवं सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)	बयाना धनराशि (लाख में)
बैम्बे योजना सी.बी.गंज, बरेली			
बैम्बे भवन-1 नग (निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा)	25.00	0.20	0.05
बरेली मोड़ योजना सं.-03, शाहजहांपुर			
अल्प आय वर्ग भवन (29/60 प्रकार) (निरस्तीकरण से प्राप्त)			
5/161 (01 नग)	62.52	6.70	0.34
5/341 (01 नग)	62.54	6.70	0.34
उच्च आय वर्ग भवन (71/248 प्रकार) निरस्तीकरण से प्राप्त			
2/1 (01 नग)	402.60	32.21	1.62

(ब) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार सम्पत्ति की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)/ आरक्षित दर प्र.व.मी	बयाना धनराशि (लाख में)
राजेन्द्र नगर योजना सं.-02 बरेली			
हाल्स प्रथम तल-एच-3, एच-4 (02 नग)	77.55	26.90 प्र.नग	2.70
दुकानें (ई ब्लॉक) 6,11,13 (03 नग)	16.00	10.34	1.05
दुकानें (ई ब्लॉक) 12 (01 नग)	39.954	25.82	2.62
बरेली मोड़ योजना सं.-03 शाहजहांपुर			
मध्य आय वर्ग भवन (53/127 प्रकार)	127.50	14.16	1.42
1/2 (कार्यालय भवन से अनारक्षित) (01 नग)			
व्यावसायिक भूखण्ड			
1/कॉम-7 (01 नग)	533.51	10842 प्र.व.मी	5.79
1/कॉम-8, 1/कॉम-9, 1/कॉम-10, 1/कॉम-11 (04 नग)	509.00	9856 प्र.व.मी	5.02
1/कॉम-12 (01 नग)	852.57	10842 प्र.व.मी	9.25
कम्प्यूनिटी सेन्टर-सी.सी.-5/1 (01 नग)	4352.25	5324 प्र.व.मी	23.18
टैगोर नगर योजना पीलीभीत			
दुकानें (14 नग)			
एस-2	10.47	4.97	0.50
एस-3	10.36	4.915	0.50
एस-4	10.26	4.87	0.49
एस-5	9.96	4.725	0.48
एस-6	10.82	5.135	0.52
एस-7	10.74	5.095	0.51
एस-8	11.30	5.36	0.54
एस-9	11.62	5.51	0.56
एस-10	10.64	5.05	0.51
एस-11	10.64	5.05	0.51
एस-12	11.25	5.34	0.54
एस-14, एस-15	10.64	5.05	0.51
एस-16	11.62	5.51	0.56

नोट: आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में अनारक्षित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर आवंटन कर दिया जायेगा।

(अ) लॉटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्र.व.मी	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद				
51 से 80 व.मी. तक (आर 1-ए2)	39	51 से 80	9744.00 प्र.व.मी.	0.39
81 से 170 व.मी. तक (आर 1-बी)	9	81 से 170	9744.00 प्र.व.मी.	0.83
251 वर्ग मीटर से अधिक (आर 1-डी)	02	312.50 से 454.50	9744.00 प्र.व.मी.	2.22
बैम्बे योजना, रामपुर				
बैम्बे भवन-ए-15, 188, 279, 356, बी-104, 131 (डूडा, रामपुर द्वारा चयनित लाभार्थियों के मध्य आवंटन किया जायेगा)।	06	25.01	20000/- प्रति भवन	0.05
(ब) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण				
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद				
उच्च आय वर्ग भवन एफ.ए.-87	01	20.94	5.81	0.30
मध्यम आय वर्ग भवन एफ.ए.-265	01	14.81	4.34	0.25
मध्यम आय वर्ग भवन एफ.ए.-271	01	16.13	4.37	0.25
मध्यम आय वर्ग भवन एफ.ए.-277	01	16.16	4.73	0.25
अल्प आय वर्ग भवन एफ.ए.-227	01	16.60	4.42	0.25
अल्प आय वर्ग भवन एफ.ए.-307	01	16.29	4.39	0.25
अल्प आय वर्ग भवन एफ.ए.-405	01	16.29	4.42	0.25
(स) नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक/अवासीय सम्पत्तियों का विवरण				
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद				
कम्प्यूनिटी सेन्टर भूखण्ड-कम्प्यूनिटी सेन्टर (लोज पर)	01	928.00	11000.00 प्र.व.मी	10.21
बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद				
व्यावसायिक भूखण्ड-4ए-कॉम-सी.पी.-01 (कार्नार)	01	421.54	22176.00 प्र.व.मी.	9.35
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद				
कम्प्यूनिटी सेन्टर-6ए/01, (लीज पर)	01	4613.13	9570.00 प्र.व.मी.	44.15
व्यावसायिक भूखण्ड-6ए/01 कार्नार (अनु.जाति)	01	640.00	21437.00 प्र.व.मी.	13.72
सी.पी. 7 सी/1 बी	01	2388.83	19488.00 प्र.व.मी.	46.56
व्यावसायिक भूखण्ड-6ए/02, 05 (अन्य पिछड़ा वर्ग)	02	480.00	19488.00 प्र.व.मी.	9.35

भवन/भूखण्डों का प्रकार सम्पत्तियों की संख्या क्षेत्रफल (वर्ग मी.में) अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्र.व.मी बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)/ प्र.व.मी	बयाना धनराशि/ टोकन मनी (लाख में)
(स) लॉटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण				
बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद				
सी.पी. 7 सी/1ए कार्नार	01	2236.15	21437.00 प्र.व.मी.	47.94
व्यावसायिक भूखण्ड-6ए/03, 04, 06 (अनारक्षित)	03	480.00	19488.00 प्र.व.मी.	9.36
सी.पी. 7 सी/1 सी कार्नार	01	2337.00	21437.00 प्र.व.मी.	50.10
व्यावसायिक भूखण्ड 7बी/1ए कार्नार	01	2082.01	21437.00 प्र.व.मी.	44.63
7बी/1बी	01	2354.55	19488.00 प्र.व.मी.	45.89
7बी/1 सी कार्नार	01	2139.22	21437.00 प्र.व.मी.	45.86
नोट:-उक्त नवविकसित सम्पत्ति की नीलामी में परिषद नियमानुसार आरक्षण देय होगा।				
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद				
दुकानें-एस-71	01	17.49	6.82	0.69
एस-72, 73	02	16.89	6.59	0.66
एस-81, 82, 83, 84	04	16.52	5.91	0.60
नवविकसित दुकानें-इन दुकानों में नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करने के उपरान्त नीलामी की जायेगी।				
एस.एफ.एस-71	01	16.07	8.16	0.82
एस.एफ.एस-60	01	13.38	6.80	0.68
एस.एफ.एस-62, 88, 89	03	7.73	3.93	0.40
एस.एफ.एस-75	01	4.00	2.04	0.21
एस.एफ.एस-81	01	3.99	2.03	0.21
एस.एफ.एस-82, 85	02	3.77	1.92	0.20
एस.एफ.एस-64	01	3.74	1.91	0.20
सम्भल गेट योजना संख्या-1, वन्दौसी				
कम्प्यूनिटी सेन्टर भूखण्ड-कम्प्यूनिटी सेन्टर (लोज पर)	01	1371.77	6413.00 प्र.व.मी.	8.80
दुकानें-एस-10, 11, 12, 13, 14, 15	06	11.22	7.44	0.75
एस-16	01	11.66	7.87	0.79
भागीरथी योजना, बिजनौर				
दुकानें-एस-4, 5, 8, 9, 10	05	9.61	5.70	0.57
एस-3	01	18.18	10.70	1.07

नोट: आवासीय सम्पत्तियाँ हेतु टोकन मनी के रूप में सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत एवं गैर आवासीय सम्पत्तियों में टोकन मनी के रूप में सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड आवंटन की तिथि से एक दिन पूर्व तक कार्यालय में दी जा सकती है। चेक/नकद स्वीकार नहीं होगा। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय से की जा सकती है।

आवेदन पत्र का प्रारूप: 1. योजना/शहर का नाम..... 2. भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आवेदक का नाम..... 4. पिता/पति का नाम..... 5. पत्र व्यवहार का पता..... 6. दूरभाष नं./मोबाइल नं. 7. ई-मेल आई.डी. 8. आरक्षण श्रेणी..... 9. निरगतकर्ता बैंक का नाम..... 10. मुगतान का विकल्प..... आवेदक के हस्ताक्षर..... तिथि..... स्थान.....

सील्ड बिड का प्रारूप: 1. योजना/शहर का नाम..... 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आरक्षित मूल्य..... 4. ऑफर मूल्य/दर..... (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं), 5. टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु..... 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... 7. नाम..... 8. पिता/पति का नाम..... 9. आरक्षण..... (यदि कोई राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न) 10. पत्र व्यवहार का पता..... 11. दूरभाष/मोबाइल नं..... 12. ईमेल आई.डी..... 13. हस्ताक्षर..... 14. दिनांक..... स्थल..... नाम-पिता/पति का नाम-संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....

घोषणा पत्र का प्रारूप: (आवेदन एवं सील्ड बिड दोनों के साथ नोटरी द्वारा सत्यापन सहित आवश्यक) : 1. मैं सम्पत्ति की स्थलीय स्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति 'जहां है जैसी है' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम..... संबंधित शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। 3. मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2011-12 की समस्त सौतों से आय रु..... से अधिक नहीं है। 4. मुझे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक नियम व शर्तें मान्य हैं।

मुख्य नियम व शर्तें: 1. समस्त आवेदकों के साथ विज्ञापन में नीचे अंकित प्रारूप पर घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 2. आवेदन/सील्ड बिड फार्म संबंधित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 3. सील्ड बिड/ऑफर अंकित करते हुए रु. 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील्ड बिड फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी में एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 4. आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील्ड बिड संबंधित शहर/योजना के लिए उल्लेखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है-कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली (सभी नगरों हेतु)। 5. सम्पत्ति संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 6. आवंटन हेतु निर्धारित आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रवेशन संबंधी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से से निस्तारित किया जायेगा। 7. आवासीय सम्पत्तियाँ हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में संबंधित नगर में मुगतान योग्य देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र दिनांक 27.09.2012 तक सील्ड बिड दिनांक 28.09.2012 को सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 8. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 9. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहां है जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति की लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 10. सम्पत्ति का कब्जा देय मुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय बिलेख उपरान्त किया जायेगा। 11. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 12. एक आवेदक एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र व पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। सफलता की स्थिति में एक भवन/भूखण्ड देय होगा एवं शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 13. आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्ति हेतु आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर सामान्य आवेदकों के मध्य नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। 14. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु संबंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखा जा सकता है। 15. समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रावीण होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

डायल करें 0522-2236803

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए एकीकृत सेवा केंद्रों में जन सुविधा केंद्रों आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

टॉल फ्री-1800-180-5333

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ (आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)

website : <http://www.upavp.com> E-Mail : upavp@sancharnet.in

